

प्रेषक,

संजय कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

विषय:-

पटना, दिनांक..... / ..... / 2023  
विश्वनाथ राय डिग्री महाविद्यालय, नीरपुर, पातेपुर, वैशाली को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विभिन्न विषयों में पास एवं प्रतिष्ठा स्तर तक सत्र 2023-26 से स्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक-B/121 दिनांक-13.01.2023 के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत परिनियम 1098 दिनांक-19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक-14.12.2017 एवं पत्रांक-3074 दिनांक-25.10.2019 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा विश्वनाथ राय डिग्री महाविद्यालय, नीरपुर, पातेपुर, वैशाली को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा) के प्रस्तावित विषयों में परिनियमानुसार पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिए जाने के निदेश के साथ शैक्षणिक सत्र 2023-26 से स्थायी संबंधन की अनुमति प्रदान की गयी है।

	संकाय	विषय
01	कला (पास एवं प्रतिष्ठा)	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, ऊर्दू, दर्शनशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिविज्ञान, गृह-विज्ञान, संगीत समाजशास्त्र एवं फारसी (कुल 14 विषय)।
02	विज्ञान संकाय: (पास एवं प्रतिष्ठा):-	भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान (कुल 05 विषय)।
02	वाणिज्य (पास एवं प्रतिष्ठा)	एकाउन्टेसी, कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इनवॉयरनमेंट एवं बिजनेस फाइनांस (कुल 04 विषय)

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक..... / ..... / 2023

ज्ञापांक:-14 / ए0एफ0-24 / 2015

प्रतिलिपि:-माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा के निजी सहायक एवं सचिव, विश्वनाथ राय डिग्री महाविद्यालय, नीरपुर, पातेपुर, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।


ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-14/ए0एफ0-24/2015 - 782

पटना, दिनांक...16/05/2023

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का निदेश दिया जाता है।

  
सरकार के संयुक्त सचिव  
30